भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1328

शनिवार, **19** सितम्बर, **2020/28** भाद्रपद**, 1942 (**शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी

1328. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

श्री शान्तनु ठाकुरः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटकों की कुल वैश्विक संख्या में भारत की हिस्सेदारी 0.6 प्रतिशत है**;**

(ख) क्या सरकार का पर्यटकों की वैश्विक संख्या में भारत की हिस्सेदारी को वर्ष 2020 के अंत तक बढ़ाकर 01 प्रतिशत तथा वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 2 प्रतिशत किये जाने का विचार है**;** और

(ग) यदि हां**,** तो सरकार का आवश्यक अवसंरचना की स्थापना तथा लोगों में पर्यटन अनुकूल संस्कृति का विकास किस प्रकार किये जाने का विचार है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): अगस्त/सितंबर **2020** के लिए यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाईजेशन (यूएनडब्ल्यूटीओ) रिपोर्ट **(**वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर**)** के अनुसार वर्ष **2019** में विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन **(**आईटीए**)** में भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन **(**आईटीए**)** का परिकलित हिस्सा **1.23%** है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में विदेशी पर्यटक आगमन तथाअनिवसी भारतीय नागरीको का आगमन शामिल है।

(ख**):** विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत के विदेशी पर्यटक आगमन **(**एफटीए**)** का हिस्सा वर्ष 2019 में 0.75**%** था । सरकार ने विश्व पर्यटक आगमन में भारत के विदेशी पर्यटक आगमन के हिस्से को वर्ष **2020** तक **1%** और वर्ष **2025** तक **2%** बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ग**):** पर्यटक स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन मंत्रालय**,**भारत सरकार ने पर्यटन

अवसंरचना के सृजन और लोगों के बीच पर्यटन अनुकूल संस्कृति बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल है:

- मंत्रालय की दो फ्लैगशिप योजनाएं : स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास और प्रसाद- तीर्थ स्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और दिशा निर्देशानुसार उन्हें स्वीकृति दी जाती है।
- 'एक विरासत को अपनाएं : अपनी धरोहर, अपनी पहचान' पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना का लक्ष्य सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से पर्यटन क्षमता तथा सांस्कृतिक महत्व के संवर्धन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियों, कॉरपोरेट नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों को 'स्मारक मित्र' बनने और विरासत स्थलों के विकास तथा उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **10** अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और हिंदी तथा अंग्रेजी में एक **24x7** टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन **1800 111 363** भी आरंभ की गई।
- अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ किया गया जो एक डिजिटल पहल है। इसका लक्ष्य देशभर में सुप्रशिक्षित तथा पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म स्थापित करना है।
- पिछले वित्तीय वर्ष **2019-20** में सात प्रतिष्ठित स्थलों अर्थात आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, बिहार में महाबोधि मंदिर, गोवा में कोलवा बीच और असम में काजीरंगा में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबी एसपी) योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय चुनिंदा आतिथ्य क्षेत्रों में रोजगार योग्य कौशल युक्त अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 'हुनर से रोजगार तक' (एचएसआरटी) कार्यक्रम चला रहा है।

इसके अतिरिक्त कोविड-**19** के मद्देनजर पर्यटन मंत्रालय द्वारा संकट से निपटने और पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी के सम्बन्ध में दिनांक 19.09.2020 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 1328 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

पर्यटन क्षेत्र में कोविड**-19** के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) कोविड**-19** सुरक्षा तथा स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने प्रशिक्षण और दिशा निर्देशों के अनुपालन के आकलन के लिए विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आतिथ्य उद्योग विशेष रूप से छोटी तथा मझौली इकाइयों को बहाल होने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता देने के लिए क्षमता निर्माण करना है।

(ii) सभी अवर्गीकृत आवास इकाइयों के समन्वयन और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विभिन्न आवास इकाइयों की एक सुदृढ़ सूचना प्रणाली/व्यापक डाटाबेस तैयार किया गया है।

(iii) होटलो**,** रेस्तरां**,** बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार की गई है और व्यवसाय की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए **8** जून**, 2020** को जारी की गई है।

(iv) ऐसे होटलों तथा अन्य आवास इकाइयों जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनःअनुमोदन तथा वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है उनकी अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता अवधि को **30** सितंबर **2020** तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(v) मंत्रालय ने क्यूसीआई के सहयोग से होटलों**,** रेस्तरां**,** बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड**-19** तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी **(**सिस्टम फॉर एसेसमेंट**,** अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री**)** नामक एक पहल की है।

****